जलवायु की पुकार

पर्यावरण और जलवायु नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी

Rainmatter Foundation

Civis

विषय वस्तु

परिचय 02

भाग 1- नागरिकों की प्रतिक्रियाएं 04

भाग 2 – नागरिक समाज और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा की जाने वाली जलवायु प्रतिक्रिया 13

भाग 3 – मीडिया द्वारा की जाने वाली जलवायु प्रतिक्रिया 19

संसाधन 23

अभिस्वीकृतियाँ 25

परिचय

सार्वजनिक परामर्श क्या होता है

सार्वजनिक परामर्श, प्रस्तावित कानूनों, नीतियों, परियोजनाओं और अन्यमहत्वपूर्ण मुद्दों परआम जनता सेउनकी प्रतिक्रियाएं, राय औरसुझाव एकत्र करनेकी एक प्रक्रियाहै। परामर्श से पारदर्शिताबढ़ सकती हैऔर इससे सरकार का लोगोंकी जरूरतों औरआकांक्षाओं के प्रतिउत्तरदायी होना सुनिश्चित कियाजा सकता है।

इन्हें जनसुनवाई, सर्वे, फोकसग्रुप डिस्कशन औरवर्चुअल प्लेटफार्मों केमाध्यम से आयोजितकिया जा सकताहै। इन्हें मंत्रालयों, विभागों और नियामकप्राधिकरणों जैसे सरकारीनिकायों और नागरिक समाजसंगठनों द्वारा भी आयोजित किया जासकता है।

सार्वजनिक विचार विमर्श के दौरान विशिष्ट हितधारक समूहों और नागरिकों को प्रस्तावित कानून, नीति और परियोजना पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त जानकारी पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार किया जाता है। सार्वजनिक परामर्श, नीति निर्माताओं को संभावित मुद्दों का पता लगाने, नीति तैयार किए जाने की जानकारी जनता को देने और अंतिम निर्णय, जनता के हितों और उनकी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है, यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है।

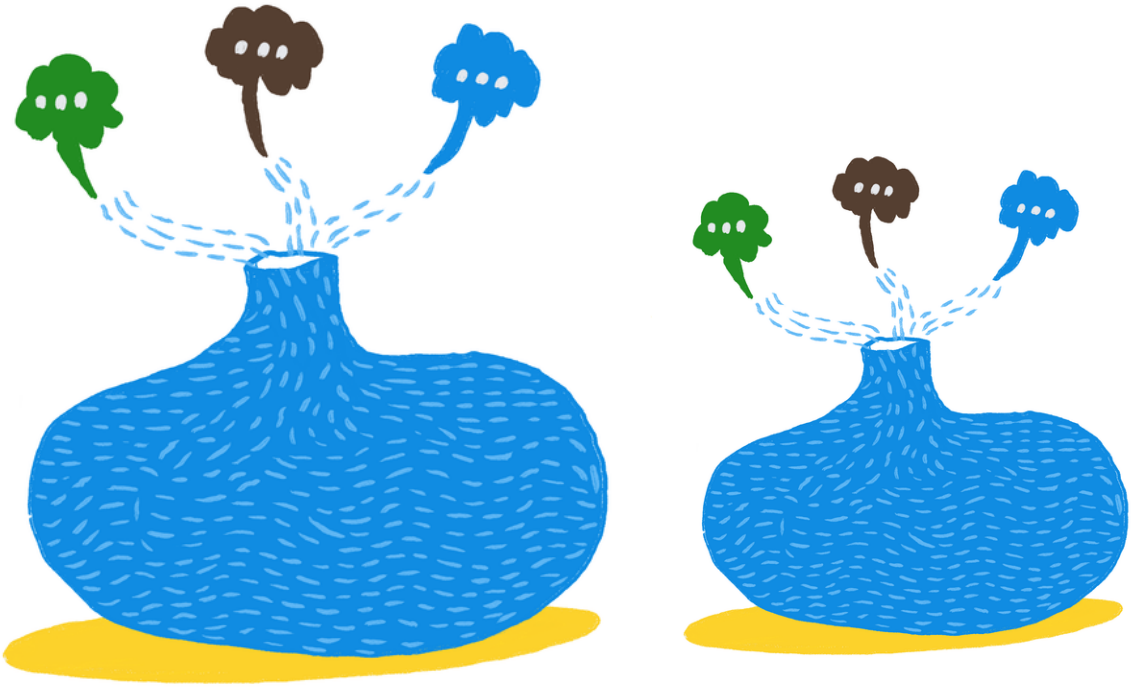

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्रवाई के लिए सार्वजनिक परामर्श

पर्यावरण नीतियाँ तैयार करते समय सार्वजनिक परामर्श बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे लोगों को पर्यावरण की मौजूदा नीतियों पर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर प्रदान होते हैं। उदाहरण के लिए, यातायात और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण आपके शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है, और सरकार प्रदूषण को कम करने एवं जन स्वास्थ्य में सुधार लाने की दृष्टि से नए मानक और प्रोत्साहन योजनाएं शुरु करना चाहती है। चूँकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो प्रत्येक जनमानस को प्रभावित करती है, तो क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगें कि इन उपायों को किस प्रकार तैयार किया गया है, और इन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है? क्या आप अलग - अलग विकल्पों की लागत और उनके लाभों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहेंगें?

जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कानून और नीतियां सभी को प्रभावित करती हैं; इसलिए, सार्वजनिक परामर्श से व्यक्तियों, समुदायों और नागरिक समाज संगठनों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।

इस गाइड में उन व्यक्तियों की कहानियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने भारत के पर्यावरण कानूनों और नीतियों के निर्माण में रचनात्मक तरीके से कार्य किया। जलवायु परामर्श में भागीदारी करके और इस संबंध में समर्थन देकर आप उन नीतियों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं, जो हमारे के ग्रह के भविष्य को आकार देती हैं। इसलिए, आगे बढें और पहला कदम उठाए और आज ही एक सक्रिय नागरिक बनें।

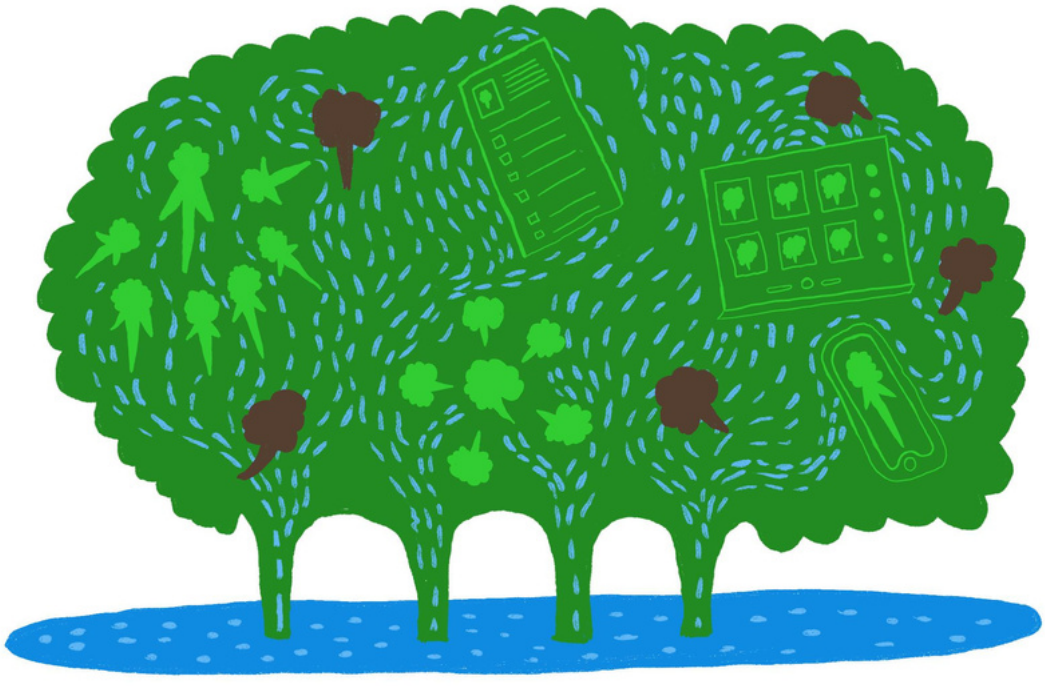

भाग १

नागरिक कार्रवाई

नागरिक कार्रवाई

जलवायु परिवर्तन परामर्श में कैसे भाग लें

सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त विचार, सभी लोगों के लिए एक स्थायी भविष्य निर्माण करने के लिए उन नीतियों को आकार देने में मदद कर सकते है, जो पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुलित करती हैं। यहां कुछ ऐसे विचार दिए गए हैं, जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों में योगदान करने में आपकी सहायता करेंगे:

1. अनुसंधान

1.आप वर्तमान जलवायु नीतियों और अपने समुदाय में होने वाले परामर्शों के अनुसंधान से शुरुआत कर सकते हैं। भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए जाते हैं और ये तीन प्रकार के होते है:-

- क.नए कानून लागू करना:- ये जलवायु, पर्यावरण, कृषि पद्धतियों, संबद्ध उद्योगों आदि को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके अथवा व्यक्तिगत तौर में इन बैठकों में उपस्थित रहकर परामर्शों में भाग ले सकते हैं। चैन्नई और मुंबई जैसे कई शहर जलवायु परिवर्तन की स्थितियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए जलवायु कार्य योजना [L1] का मसौदा प्रकाशित कर रहे हैं।

- ख.मौजूदा कानूनों में संशोधन करना: ये जलवायु या पर्यावरण के मुद्दे से निपटने वाली किसी मौजूदा कानून अथवा किसी नीति को बदलने के लिये एक मसौदा संशोधन या अधिसूचना हो सकती है।

- ग.प्रस्तावित परियोजनाए: इन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकारी अथवा संबंधित राज्य व स्थानीय नगर निगमों द्वारा करवाया जाता है। इन सुनवाईयों से संबंधित जानकारी इन निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नीतियोँ के संबंध में केंद्र सरकार के परामर्श, आमतौर पर ई-राजपत्र अथवा पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे मंत्रालयों की वेबसाईट्स पर पाए जाते हैं। राज्य एवं स्थानीय सरकारों के परामर्श राज्य की राजपत्र अधिसूचनाओं या स्थानीय समाचारपत्रों में पाए जाते हैं।

2. जानकारी रखे

प्रस्तावित नीति के आपपर या आपके समुदाय पर होने वाले प्रभाव को पढें और समझे। किसी सार्वजनिक सुनवाई के मसौदे परामर्श या नोटिस की सूचना प्रकाशित करते समय, संबंधित विभाग, नीति या मुद्दे का वर्णन करते हुए एक व्याख्यात्मक नोट जारी कर सकता है। इसके अलावा, आप समाचार लेखों और व्याख्याता ब्लॉग प्रकाशित करने वाले प्रतिष्ठित संगठनों जैसे विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे प्रकाशक उनके समाचार पत्रों में एक निर्दिष्ट खंड में ड्राफ्ट कानून और नीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा, आप इस प्रकार की जानकारी साझा करने वाले कई समर्थन समूहों के व्हाट्सएप ग्रुपस में शामिल हो सकते हैं।

3. परामर्श में उपस्थित होना

कभी-कभी, किसी विभाग, प्राधिकरण या संगठन द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई या टाउन हॉल बैठकों के माध्यम से नागरिकों को अपनी प्रतिक्रिया और विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह आपके लिए प्रस्तावित नीति या परियोजना के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और पर प्रतिक्रिया प्रदान करने का अवसर है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उनकी वेबसाइट पर आगामी सार्वजनिक सुनवाई के लिए नोटिस प्रकाशित करता है।

4. अपने अनुभवों को सांझा करे

1.प्रस्तावित नीति के सामुदायिक प्रभावों पर लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अंतर्दृष्टि को सांझा करने से नीति निर्माताओं को अपने निर्णयों के संबंध में वास्तविक दुनिया के निहितार्थों को समझने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, कन्याकुमारी के कई गाँवों में थूथूर समूह के मछुआरे मछली पकड़ने के पुख्ता तरीकों को बढ़ावा देने के लिए शार्क मछली पकड़ने के अपने अनुभवों को सांझा कर रहे हैं। परामर्श किए जाने से अनुभवी मछुआरों द्वारा अपनाए जाने वाली पद्धति की अंतर्दृष्टि, सर्वोत्तम प्रथाओं पर उपलब्ध अकादमिक इनपुट की तुलना में अधिक मूल्यवान होगी।

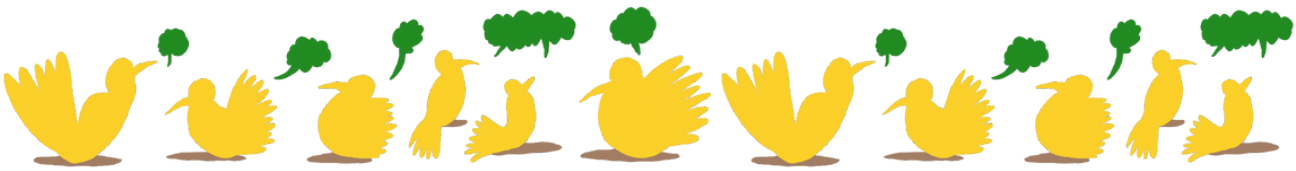

5. उच्च कोटि की प्रतिक्रिया प्रदान करें:

प्रतिक्रियाएं प्रदान करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

- **विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिक्रिया:** प्रदान किए गए फीडबैक में नीति के उस हिस्से को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए जिसे आप संबोधित कर रहे हैं। सामान्यीकरण से बचें और उस विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करें जिसके बारे में आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है। इससे नीति निर्माताओं के लिए आपकी प्रतिक्रिया पर विचार करना आसान हो जाएगा। विचाराधीन नीति पर केंद्रित रहें और विषय से बाहर जाने या असंबंधित मुद्दों से बचें।

- **जीवित अनुभवों से साक्ष्य प्रदान करना:** सबूतों के आधार पर प्राप्त फीडबैक पर विचार किए जाने की संभावना अधिक होती है। यह महत्वपूर्ण है कि नीति के संबंध में व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाए और आपपर या दूसरों पर इसके प्रभाव को समझाया जाए। इसके अतिरिक्त, अपनी प्रतिक्रिया का समर्थन करने वाले डेटा या शोध प्रदान करें ताकि आपके सुझाव तथ्यों या वास्तविकता के अनुभव के आधार पर हों।

- **दृष्टिकोण और संदर्भ प्रदान करना:** यह समझाना महत्वपूर्ण है कि क्यों एक निश्चित खंड या कोई अनुभाग आपके या अन्य लोगों के लिए काम नहीं करता है। इसमें नीतिके प्रभाव केबारे में संदर्भप्रदान करना यायह वर्णन करनाशामिल है किकैसे यह खंड अन्य नीतियों यामूल्यों के साथटकराव करता है।

- **सामूहिक हितों को प्राथमिकता देना:** जहाँ व्यक्तिगत अनुभवों को सांझा करना अधिक महत्वपूर्ण होता है, वहीं अन्यों पर नीतिगत प्रभावों पर विचार करना और सभी को लाभान्वित करने वाली सिफारिशें प्रदान करना भी जरूरी होता है। इससे सकारात्मक बदलाव होने की संभावना अधिक हो जाएंगी।

- **समाधान-उन्मुख प्रतिक्रिया:** आम तौर पर, अधिकारी विभिन्न समाधानों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक परामर्श आयोजित करते हैं। इससे नीति को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करने से फीडबैक के लिए आपके तर्क और व्यावहारिक समाधान खोजने की आपकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में मदद मिलती है। समाधान प्रस्तुत करते समय नागरिकों और सरकार दोनों के लिए बाधाओं को कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

- **सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया:** अंत में, प्रतिक्रियाओं को सहानुभूति के साथ देखना और पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है कि नीति निर्माता अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। इससे विचार विमर्श उत्पादक होगा और सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।

6. दूसरों के साथ काम करें

जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए अपने समुदाय में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ एक समूह बनाएं या मौजूद समूह के साथ मिलकर काम करने पर विचार करें। एक साथ काम करने से प्रभाव भी मजबूत पड़ता है। यूथ फॉर क्लाईमेट इंडिया ने क्लाइमेट फॉर जस्टिस लाइब्रेरी का गठन किया है, जहाँ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर साहित्यिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। जब पर्यावरण प्रभाव आकलन (ड्राफ्ट इनवायरमेंटल असेसमैंट) अधिसूचना मसौदा पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं मांगी जा रही थी, सामूहिक संगठित सत्र और वेबिनार द्वारा लोगों को मसौदा अधिसूचना के निहितार्थों को समझने में मदद करने की जा रही थी ताकि उन्हें प्रतिक्रिया देने आसानी हो सके।

आपकीप्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्णहै?

एक नागरिकके रूप में, सार्वजनिक परामर्श मेंआपकी भागीदारी कईकारणों से महत्वपूर्णहै:

1. प्रस्तुतीकरण

सार्वजनिक परामर्श में भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय प्रक्रिया के दौरान आपके दृष्टिकोण और अनुभवों पर विचार किया जाता है। पीडब्ल्यूसी और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक प्रभाव रिपोर्ट के शोध से पता चलता है कि, चूँकि, कृषि क्षेत्र के रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है, इसलिए परामर्श प्रक्रियाओं में उनके प्रतिनिधित्व के अभाव में बनाई गई नीतियाँ अप्रभावी होती हैं।

2. सूक्ष्म प्रतिक्रिया

आपकी प्रतिक्रिया, प्रस्तावित नीति के संभावित प्रभाव में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और अनपेक्षित परिणामों की पहचान करने में मदद करेगी। इस प्रकार नीति की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करना और कानूनों को अधिक प्रासंगिक बनाना। जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मसौदा अधिसूचना जुलाई 2022 में जारी की गई थी, तो दिल्ली के एक निवासी ने यह कहते हुए एक मूल्यवान प्रतिक्रिया दी थी कि अपने वाहन का पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) हमेशा साथ रखने की आवश्यकता को लागू करना कठिन और यह अनावश्यक है क्योंकि यह जानकारी वाहन संख्या से जुड़ी हुई है और ऑनलाइन उपलब्ध है। इस तरह की सुविचारित और व्यक्तिगत टिप्पणियां कानून निर्माताओं को प्रस्तावित नीति के प्रभाव को समझने और तदनुसार संशोधन करने में मदद करती हैं।

3. जवाबदेही में बढ़ोतरी

सार्वजनिक परामर्श से निर्णय की प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है। देवभूमि द्वारका, गुजरात में किसानों द्वारा सामुदायिक कार्रवाई ने प्रदूषण फैलाने वाली बॉक्साइट रिफाइनरी के संचालन को रोक दिया क्योंकि इससे उनकी उपज की गुणवत्ता प्रभावित हुई। उन्होंने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को सूचित किया और उनसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप करने की मांग करके सरकार से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल हुए। हालांकि अधिकारियों द्वारा कोई सार्वजनिक परामर्श नहीं किया गया, लेकिन सरकार से जवाबदेही की किसानों की मांग के सकारात्मक परिणाम सामने आए। आप कानून के प्रावधानों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परामर्श की मांग कर सकते हैं।

4. व्यक्तिगत अनुभव

व्यक्तिगत अनुभवों को सांझा करने से नीति निर्माताओं को अपने निर्णयों के संभावित परिणामों को समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, मेघालय में उमगोट नदी के पास झूम पद्धति (पारंपरिक स्लैश और बर्न तकनीक) का प्रयोग करने वाले किसानों ने एक बांध के निर्माण के खिलाफ एक सफल सामुदायिक कार्रवाई की, जो उनकी पारंपरिक खेती पद्धति को बदलने से उनकी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। जबकि झूम तकनीक को अस्थिर और प्रदूषणकारी होने के लिए आलोचना मिलती है, लेकिन ये किसान अपने अनुभव से इसे अलग तरह से व्यवहार में लाते हैं। वे झूम विधि का उपयोग करते हुए किसान जंगलों को साफ करते हैं, बायोमास को जलाते हैं, एक वर्ष के लिए उस जमीन पर विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, फिर प्राकृतिक रूप से पुनः उपजाऊ होने के लिए पिछली भूमि को छोड़कर अगले वन की ओर चले जाते हैं।

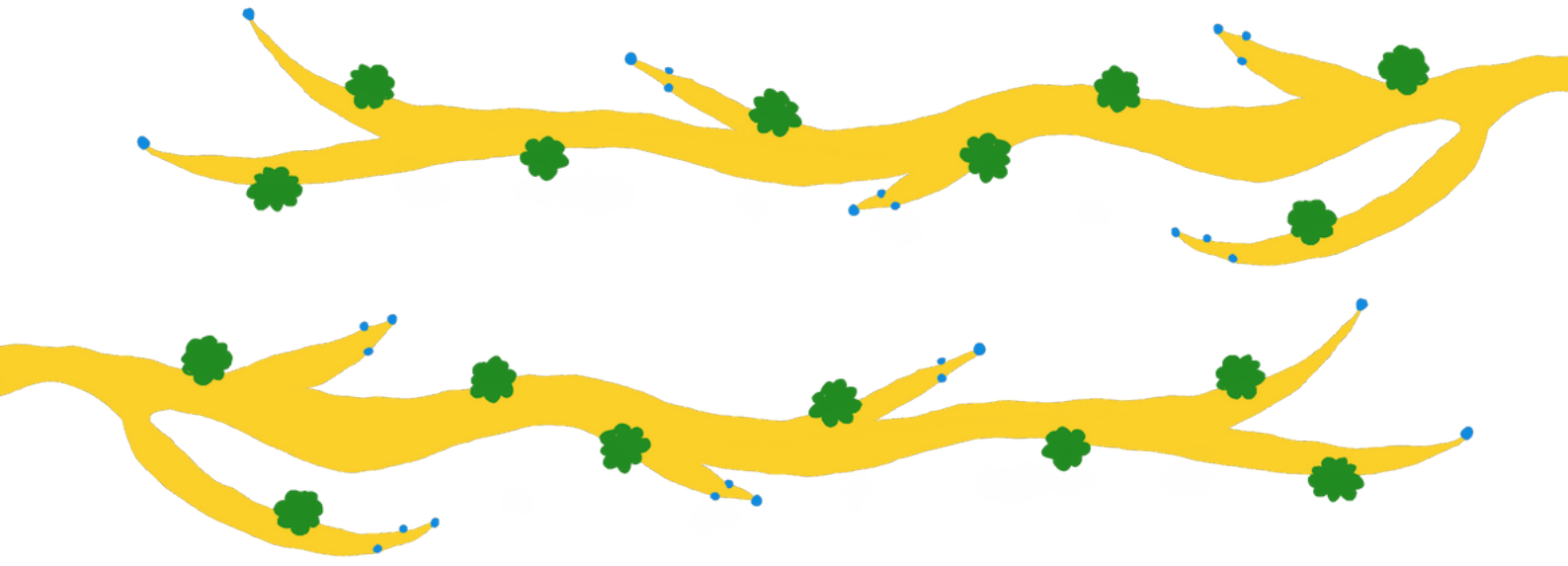

सफलजलवायु परामर्श केपरिणामस्वरूप प्रभावी नीतिके उदाहरण

यहां सार्वजनिकपरामर्शों के कई उदाहरणों में से कुछ उदाहरण नीचे दिएगए हैं जिनकेपरिणामस्वरूप भारत मेंप्रभावी नीति बनीहै।

1. मसौदा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021

1)प्लास्टिक, विशेष रूप से केवल एक बार उपयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक (एसयूपी[L1]) जो अक्सर जमीन में फँसकर रह जाता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। भारत में (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। प्लास्टिक अपशिष्टप्रबंधन नियम, 2021 के मसौदा पर सार्वजनिकपरामर्श के दौरान, नागरिकों द्वारा की गई प्रतिक्रियामें इस मांगको प्रतिबिंबित किया गया। पेप्सिको, कोका-कोलाकॉर्पोरेशन, पार्ले एग्रो, डाबर और अमूलजैसे बड़े निगमोंने प्लास्टिक स्ट्रॉ (एसयूपी का एकप्रकार) को एसयूपीपर प्रतिबंध सेछूट देने केलिए पैरवी कीथी। लेकिन नागरिकों की मजबूत मांग को देखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक स्ट्रॉ को प्रतिबंधित होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल किया।

2. बीटी बैंगन

1)वर्ष 2005 के आसपास महाराष्ट्रहाइब्रिड सीड्स कंपनीलिमिटेड ने बीटीबैंगन, एक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव खाद्य, पर एक वैज्ञानिक परीक्षण किया था, जिसने भारत में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लाभों को महसूस किया था। यद्यपि, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में बीटी बैंगन की खेती पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, वहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक सार्वजनिक परामर्श लिया। जिसके परिणामस्वरुप संबंधित किसानों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों द्वारा बीटी बैंगन की खेती के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया गया आक्रोश, बीटी बैंगन के व्यावसायीकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन स्थगन के रूप में सामने आया।

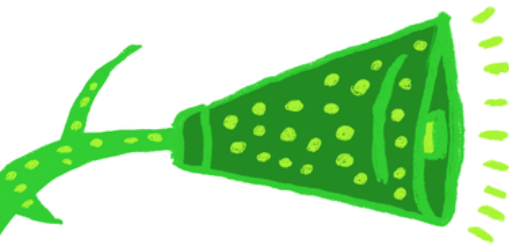

जलवायु परामर्श के बारे में जागरुकता कैसे फैलाई जाए

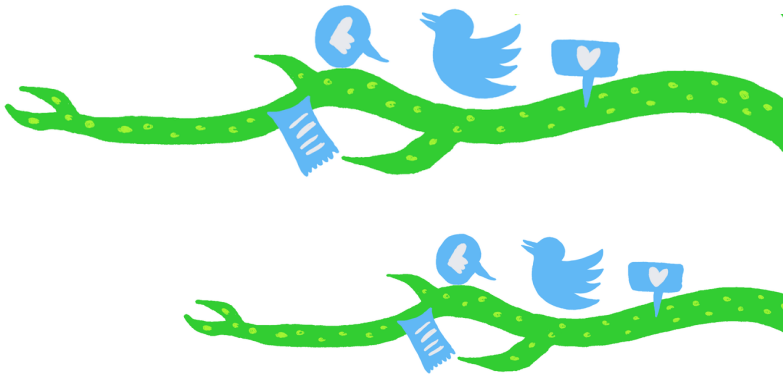

1. सोशल मीडिया

1)जलवायु परामर्श और और उसमें भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्ट, ब्रोशर, फ्लायर्स फैक्ट शीट, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो जैसे शैक्षिक संसाधन तैयार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करें।

2. कार्यक्रम आयोजित करें

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इस मुद्दे को संबोधित करने में जलवायु परामर्श की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए टाउन हॉल बैठकों, पैनल चर्चाओं और कार्यशालाओं जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करें।

3. स्थानीय संगठनों के साथ सहयोग करें

1)बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए पर्यावरण समूहों, स्कूलों और आस्था-आधारित संगठनों जैसे स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी करें।

4. समर्थन दें

अपने समुदाय के सदस्यों को जलवायु परामर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और जलवायु परिवर्तन को कारगर बनाने वाली नीतियों का समर्थन करें। इससे एक समावेशी और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण तैयार होता है जिसमें व्यक्तियों और समुदायों को यह आभास होता है कि उनके विचारों को सुना जाता है और महत्व दिया जाता है और यह विश्वास पैदा करने और अधिक से अधिक व्यक्तियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।

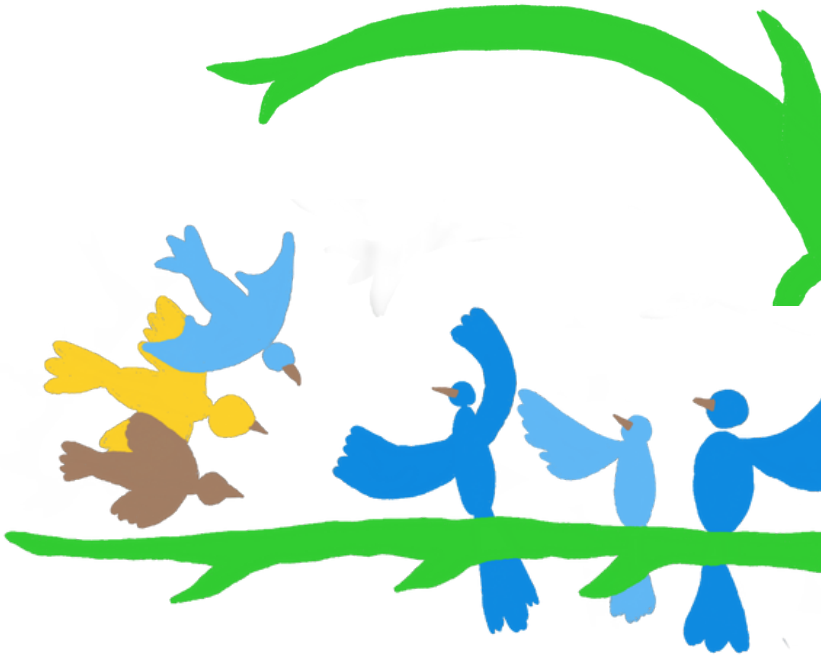

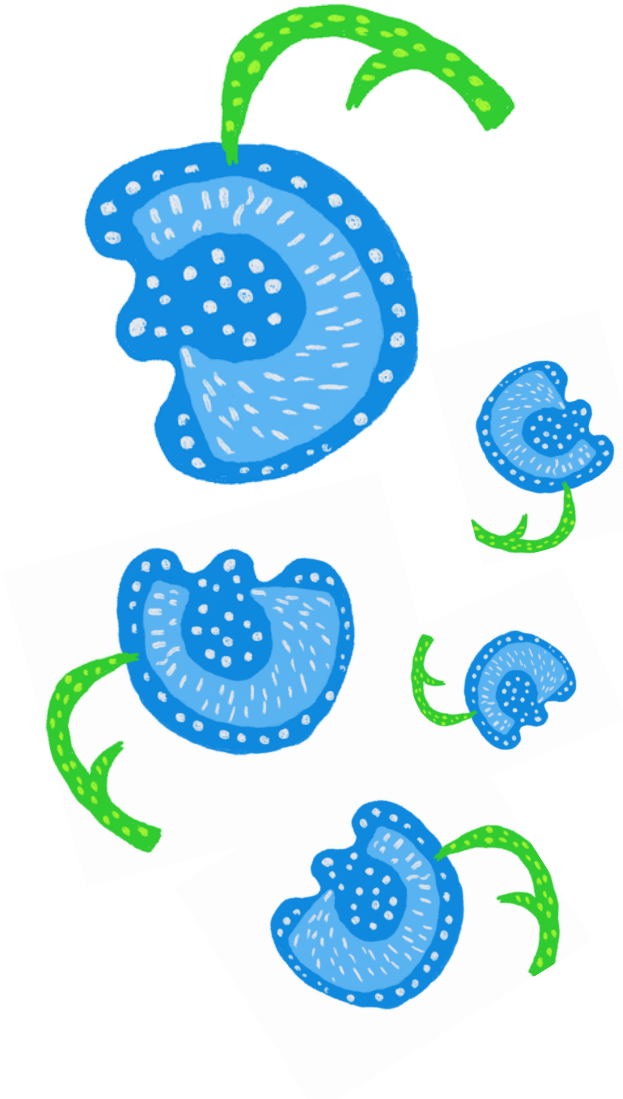

5. सिविस.वोट साइट का उपयोग करना:

आप जलवायु परामर्श के चल रहे सार्वजनिक परामर्शों की जांच करने और प्रासंगिक जलवायु परामर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आप Civis.vote की साईट पर जा सकते हैं। सिविस.वोट मसौदा कानूनों और नीतियों पर सक्रिय सार्वजनिक परामर्श प्रदर्शित करता है जहां आपकी प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह आपको इन नीतियों पर अपने विचार लिखने और साथी नागरिकों की टिप्पणियों को पढ़ने और उनसे पारस्परिक विचार-विमर्श करने की सुविधा प्रदान करता है। परामर्श अवधि के अंतिम दिन, यह मंच सभी टिप्पणियों को एकत्रित करता है और इसे उस मंत्रालय या विभाग को भेजता है जिसने ये प्रतिक्रियाएं मंगाई हैं।

भाग २

नागरिक समाज और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा जलवायु विषय पर कार्रवाई

नागरिक समाज और गैर लाभकारी संगठनों द्वारा जलवायु विषय पर कार्रवाई

एक नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) के सदस्य के रूप में, यहां तक कि एकमात्र जलवायु उत्साही के रूप में, हम जलवायु परिवर्तन की हानियों को कम करने के लिए समुदायों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। अपने अनुभव से हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है। आप उन नागरिकों के साथ काम कर सकते हैं ,जो अपने जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव पर विश्वास नहीं करते हैं या किसी ऐसी सरकार या विभाग के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ जुड़ना कठिन है। लेकिन, सहयोगात्मककार्रवाई हमेशा प्रभावी साबित हुई है।
इस खंड में उन गतिविधियों को शामिल किया गया है, जो एक बड़ा संगठन, छोटा समूह या यहाँ तक कि एक अकेला योद्धा भी नागरिकों और सरकारोंके बीच संवादको सुगम बनानेमें मदद करसकता है, जिसकेपरिणामस्वरूप प्रभावी जलवायुनीतियां बनाई जासकती हैं। सीएसओके पास समुदायोंको एकजुट करनेऔर जलवायु परामर्शमें भागीदारी बढ़ानेका एक अनूठाअवसर होता है।इसलिए आगे बढ़ें, कार्रवाई करें औरबदलाव लाएं।

नागरिकों के साथ सहयोग

प्रक्रिया के बारेमें जागरूकता काअभाव और नीतिगतदस्तावेजों को समझनेमें कठिनाई कुछचुनौतियां हैं, जोजलवायु परामर्श मेंनागरिकों की भागीदारीको सीमित करतीहैं।

एक मोबिलाइज़र के रूपमें, आप निम्नलिखितबाधाओं को दूरकरने में नागरिकोंकी मदद करकेपरामर्श प्रक्रिया केलिए एक शक्तिशालीसमर्थक बन सकतेहैं।

1. परामर्श के बारे में जागरूकता बढ़ाना

सार्वजनिकपरामर्श के बारेमें जागरूकता बढ़ानेसे यह सुनिश्चितहोता है किनागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। आमतौर पर, नागरिक परामर्श में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि या तो उन्हें पतानहीं होता हैकि उनकी प्रतिक्रियामांगी गई है औरअगर उन्हें परामर्शके बारे मेंजानकारी होती भी हैं, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया सांझा करने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हो सकते हैं।

आप फ्लायर्स, पोस्टर्स, सोशल मीडियाऔर यहां तककि व्हाट्सएप केमाध्यम से आगामीपरामर्शों के बारेमें जानकारी काप्रसार करके महत्वपूर्णरूप से मददकर सकते हैं।अक्सर यह गलतधारणा होती है किकेवल पेशेवर, शिक्षाविदऔर तकनीकी ज्ञानवाले लोग हीनीति निर्माण मेंभाग ले सकतेहैं। नागरिकों को पता होना चाहिए कि अपने अनुभवों को साझा करनेसे नीति निर्माताओं को बेहतर परिपक्व नीतियां विकसित करने में मदद मिल सकती है।

वर्ष 2019 में बृहन्मुंबईनगर निगम नेमुंबई की आरेकॉलोनी से 2,238 पेड़ों कोकाटे जाने केमुद्दे पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए अखबारों में विज्ञापनदिया था । एकस्थानीय सामुदायिक संगठन, लैट इंडिया ब्रीदने व्हाट्सएप औरसोशल मीडिया प्लेटफार्मोंके माध्यम सेइस परामर्श मेंभाग लेने केमहत्व के बारेमें जानकारी काप्रसार किया। उन्होंनेईमेल के माध्यमसे प्रतिक्रिया प्रस्तुतकरने के बारेमें विस्तृत निर्देशदिए, जिसके परिणामस्वरूपभागीदारी में वृद्धिहुई।

2. मसौदा कानून के बारे में व्याख्यात्मक संसाधन प्रदान करें

कोई मसौदाकानून या उस की नीतिकी भाषा तकनीकीऔर जटिल होसकती है। जलवायु नीतियांके साथ संलग्न शोध कार्य और आंकडें नागरिकोंको समझने में कठिनाई हो सकती है।

संगठन ऐसी विषय- वस्तु तैयार करसकते हैं जोप्रस्तावित मसौदे कीभाषा को सरलबनाएं और नागरिकोंपर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावको स्पष्ट करें।इन्हें संक्षिप्त स्पष्टीकरण, इन्फोग्राफिक्स, वीडियो, पॉडकास्ट आदि के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है। इस विषय- वस्तु मेंमसौदा कानून, इसकेवित्तीय और सामाजिकनिहितार्थों और पर्यावरण, मौलिक अधिकारों, जीवनऔर लोगों कीआजीविका पर इसकेप्रभाव का एकसंक्षिप्त अवलोकन होनाचाहिए। इस विषय वस्तु कीपहुंच सभी नागरिकोंतक सुनिश्चित करनेके लिए इसेक्षेत्रीय भाषाओं मेंउपलब्ध कराया जानाचाहिए।

एक सस्टेनेबिलिटी पत्रिका, धरती मुझसे बात करो भारतीयप्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने सोशलमीडिया के माध्यमसे प्लास्टिक अपशिष्टप्रबंधन नियम, 2016 के तहतविस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर के नियमन के लिए मसौदा अधिसूचना के प्रावधानों की जांच की।

सिविस अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए पर्यावरण कानूनों और नीतियों के मसौदे के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या करते हुए लघु वीडियो प्रकाशित करता है।

युवान एव्स, एक पर्यावरणविद् ने इंस्टाग्राम का उपयोग करते हुए वर्ष 2022 में चेन्नई जलवायु कार्य योजना का सारांश उपलब्ध कराया ओर उन्होंनेनागरिकों को चैन्नई के जलवायु नीति के निर्णयों को आकारदेने में मददकरने के लिएसार्वजनिक परामर्श मेंभाग लेने केलिए प्रोत्साहित किया।

3. नागरिकों को प्रेरित करना

1) एसओ के रूप में यह आवश्यकहै कि जलवायुपरामर्श में जनताकी भागीदारी कोप्रोत्साहित किया जाए।इससे लोगों कोअपनी चिंताएं व्यक्तकरने और जलवायुनीतियों में योगदानकरने में मददमिलती है। समुदायोंको एकजुट करनेऔर भागीदारी बढ़ाने के कुछ व्यावहारिक तरीके इस प्रकार हैं:

जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों के विचारों को साझा करने के लिए टाउन हॉल बैठकों का आयोजन और एक मंच तैयार करना। द क्लाइमेट ग्रुप इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया (डब्ल्युडब्ल्युएफ) और द एनर्जीएंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) जैसे सीएसओने टाउन हॉलका सफलतापूर्वक आयोजनकिया है, जिससेजलवायु कार्रवाई केबारे में आमसहमति बनाने मेंमदद की है।

इसके अलावा, भारत में सीएसओजैसे ग्रीनपीस इंडिया, सेंटर फॉर एनवायरनमेंटएज्युकेशन इंडिया औरसेंटर फॉर साइंसएंड एनवायरनमेंट नेजलवायु परिवर्तन केप्रभावों और कार्रवाईकरने के महत्वके बारे मेंशैक्षिक अभियान आयोजितकिए हैं, जोनागरिकों को प्रेरितकरने में प्रभावीरहे हैं।

सोशल मीड़िया प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाना जन भागीदारी बढ़ाने का एक और तरीका है। ग्रीनपीस और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने सामाजिक मीडिया का उपयोग घटनाओं को बढ़ावा देने, जानकारी साझा करने और नागरिकों को परामर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया है। वर्ष 2020 में, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण पर एक ऑनलाइन परामर्श का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से लगभग 600 लोगों ने भाग लिया। यूथ की आवाज ने चैन्नई जलवायु कार्य योजना के सार्वजनिक परामर्श के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ जीरो से हीरो एक अभियान चलाया। इससे कई छात्रों को शहर के स्थानीय प्राधिकरण पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ सीएसओ ने सस्टेनेबल प्रथाओं को बढ़ावा देने और जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायों के साथ सहयोग किया है।

जलवायु समूह भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसे व्यवसायों के साथ साझेदारी की है। अंत में, सीएसओ जलवायु परामर्श की सुविधा के लिए स्थानीय सरकारों के साथ काम कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करके, सीएसओ यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को परामर्श के बारे में जागरुक हैं और उनके पास भाग लेने के लिए आवश्यक जानकारी है।

संगठनोंऔर सरकारों के साथकाम करना

अनुसंधान संगठनऔर थिंक टैंकपर्यावरण और जलवायुनीति निर्माण मेंविभिन्न सरकारी विभागोंके लिए सलाहकारके रूप मेंयोगदान कर सकतेहैं। ऐसे मामलोंमें, ये संगठनयह सुनिश्चित करसकते हैं किसार्वजनिक परामर्श प्रभावीतरीके से आयोजितकिया जाता है।

1. सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने के लिए अधिवक्ता

लाभों कोरेखांकित करते हुएसंबंधित हितधारकों और नागरिक समूहों के साथ सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने के लिए विभाग को राजी करें।

- परिणामीकानून और नीतियांप्रासंगिक हैं और जनताके लिए उप्युक्तहैं।
- इस नीतिको लागू करनेमें लागत में कमी होतीहै।
- इसप्रक्रिया से लाभान्वित होनेवाली नीतियों केउदाहरण दर्शाना।

इसके अतिरिक्त, आप निम्नलिखित केतहत विधायी पूर्व परामर्श नीति औरअन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत दिशा-निर्देशोंको दोहरा सकतेहैं, जो हितधारकों कीभागीदारी को बढ़ावादेते हैं। उदाहरण केलिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 (3) ,में मंत्रालय या संबंधित विभाग को लिखित आपत्तियां भेजने के लिए राजपत्र में प्रकाशन तिथि से साठ दिन की अवधि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, आप अदालतों औरराष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिन्होंने प्रभावी सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने उत्कर्ष मंडल बनाम भारत संघ मामले में कहा कि सार्वजनिक सुनवाई को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और कहा है कि एक ही दिन कई बार सुनवाई नहीं की जा सकती।

इसकेअतिरिक्त, एनजीटी ने इसबात पर गौरकिया गया किप्रभावी सार्वजनिक सुनवाई में बहुत से कारकों का योगदान होता है। जैसे स्थान, समय सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, कार्यकारी सारांश और स्थानीयभाषा में उपलब्धकराई गई रिपोर्टऔर उचित सूचना।अधिकरण ने कहाकि इन कारकोंकी अवहेलना करनेसे किसी भीसार्वजनिक सुनवाई निरर्थक हो जाएगी जिसमें पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी का अभाव होगा।

2. सार्वजनिक परामर्श के परिणाम जारी करने को प्रोत्साहित करना

सफल सार्वजनिक परामर्श को प्रदर्शित करके आप जलवायु नीति निर्माण में सरकार के साथ स्थिर और सकारात्मक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करसकते हैं। सीएसओ सरकारीभागीदारों को पिछलेपरामर्शों के परिणामोंको प्रकाशित करनेके लिए प्रोत्साहितकर सकता है।परिणामों को जारीकरने से पारदर्शिताको बढ़ावा देने, जवाबदेही बढ़ाने, निर्णयलेने को वैधताप्रदान करने औरअनुभवों से सीखकरनागरिकों की सहभागिताके तरीकों मेंसुधार लाने मेंमदद मिलेगी।

भाग ३

मीडिया में जलवायु कार्रवाई

मीडिया में जलवायु कार्रवाई

पत्रकार, मीडियाकर्मीऔर संगठनों का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिकजलवायु परामर्श कोबढ़ावा देने के लिए जनता को सूचित किया जाता है और निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, मीडिया, जलवायुनीतियों पर सार्वजनिकपरामर्श प्रक्रिया के पूरक के लिए में कईतरीके अपना सकताहै।

1. सार्वजनिक परामर्श के महत्व पर प्रकाश डालना

1)नागरिक सामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी के लिए समाचार और ऑनलाइन मीडिया की ओर रुख करते हैं। पत्रकार और मीडिया आगामी परामर्शों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान देने की विधि पर रिपोर्टिंग करके और सफल परामर्शों के उदाहरणों को साझा करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में सार्वजनिक परामर्श के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सभी को सार्वजनिक परामर्श के बारे में पता चले, यह सरकार सहित कई हितधारकों पर है। तथापि, मीडिया अपनी महत्वपूर्ण स्थिति और सद्भावना का लाभ जनता के साथ विचार-विमर्श में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठा सकता है। उदाहरण के लिए, द हिंदू ने दस्तावेज के प्रावधानों और नागरिकों पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए ईआईए 2020 के मसौदे के बारे में विस्तार से बताया हुए एक व्याख्याता प्रकाशित किया है।

२. सार्वजनिक परामर्श परिणामों पर रिपोर्टिंग

प्रतिभागियों की संख्या, सरकार द्वारा प्राप्त फीडबैक, नागरिक हस्तक्षेप के कारण जलवायु नीति में बदलाव और जलवायु पर इसका परिणामी प्रभाव के बारे में लिखने से प्रक्रिया की प्रभावशीलता का प्रमाण मिलेगा।
जलवायु नीति पर एक प्रतिक्रिया बिंदु के मापने योग्य प्रभाव को प्रत्यक्ष करना नागरिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
जलवायु नीति पर किसी प्रतिक्रिया बिंदु के मापने योग्य प्रभाव को प्रत्यक्ष करना, नागरिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान कर सकता है

3. सार्वजनिक संवाद के लिए मंच

1)जलवायु कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पर्यावरणविदों, सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विषय-वस्तु, पाठकों को किसी मसौदा कानून या नीति में उल्लिखित मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती है।

जलवायुनीतियों पर कानूनीभाषा और डेटासेट्स की जटिलताको देखते हुएइसे समझना मुश्किल होसकता है। व्याख्याकरने वाले ब्लॉगऔर राय प्रकाशितकरने से नागरिकोंको अपने व्यवहारिक जीवन मेंप्रस्तावित परिवर्तन केप्रभाव को समझनेमें मदद मिलतीहै, और वे मसौदा कानूनपर बारीकी सेप्रतिक्रिया देने योग्य हो पाते हैं।

यहाँ ध्यान देनेयोग्य बात यहहै कि क्षेत्रीयभाषाओं में संवादकरने वालों कोउचित मान्यता दीजानी चाहिए। हालांकि, कई वार्ताएं अधिकतर अंग्रेजी औरहिंदी में होती हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओंऔर शोधकर्ताओं को भी एकमंच प्रदान करनेके प्रयास किएजाने चाहिए जोअन्य भारतीय भाषाओंमें भी संवादकरते हैं। ब्लॉगऔर ऑप-एड्सके पाठ-आधारितसंचार के अलावावीडियो, पॉडकास्ट आदिमाध्यमों पर भीविचार किया जानाचाहिए ताकि यहसुनिश्चित किया जासके कि उनकीआवाज बड़ी संख्यामें श्रोताओं तकपहुंचती है।

सिटिजन मैटर्सऔर द बेटरइंडिया जैसे मंचपर्यावरण कानूनों औरनीतियों के मसौदेको सरल बनानेवाली विषय- वस्तुको प्रकाशित करकेव्यक्तियों और संगठनोंको स्थान देनेमें महत्वपूर्ण भूमिकानिभाते रहे हैं।

सिटिजन मैटर्स और द बेटर इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों के मसौदे को सरल बनाने वाली सामग्री प्रकाशित करके व्यक्तियों और संगठनों को स्थान देने में सहायक रहे हैं।

4. प्रमुख हितधारकों का साक्षात्कार

1)कभी - कभी नागरिकों के लिए फीडबैक देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि नीति का मसौदा उनसे असंबद्ध होता है। ऐसे मामलों में, नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सीधे प्रभावित होने वाले हितधारकों के माध्यम से नीति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

मुंबई के बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक विकसित करने के मामले में, हिंदुस्तान टाइम्स ने विकास गतिविधियों से प्रभावित कुछ लोगों के प्रोफाइल चयन करके शहर भर में परामर्श आयोजित कराए, इस तरह प्रभावित लोगों के अनुभवों के बारे में जागरूकता, नागरिकों को अपनी स्थिति के बारे में प्रतिक्रिया देने की समर्थता देगी।

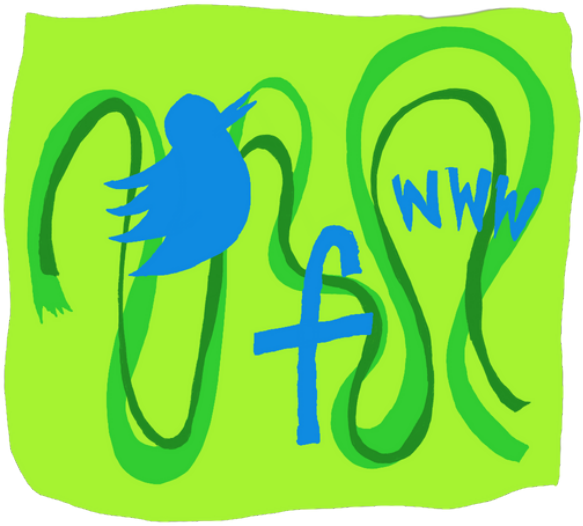

5. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें

1)मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की गतिशील प्रकृति का लाभ उठा सकता है और मसौदा नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डोमेन विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच बातचीत की मेजबानी कर सकता है।

जैसे-जैसेसोशल मीडिया लाइवरिपोर्टिंग जैसी अवधारणाओंको समायोजित करनेके लिए विकसितहोता है, यहएक मंच केरूप में विकसितहो सकता हैजो प्रस्तावित मसौदानीतियों पर चर्चाकरने के लिएऑनलाइन टाउनहॉल कीमेजबानी कर सके। मीडियासंगठनों, जैसे ईपीडब्ल्युऔर डाउन टू अर्थ जलवायु नीतियोंके पहलुओं कोसमझने के लिएविशेषज्ञों के साथचर्चा की मेजबानीकरने के लिएसोशल मीडिया काउपयोग करें।

संसाधन

लिंक देखने के लिए बाईं ओर के आइकन पर क्लिक करें

सिविस.वोट: नए और खुले सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मंच।

पूर्व-विधायी परामर्श नीति के साथ पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन पर **सिविस ट्रैकर**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकों की रिपोर्टें जो औद्योगिक परियोजनाओं को दी गई मंजूरी को ट्रैक करती हैं।

क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर: देशवार जलवायु सांख्यिकी की जाँच करने के लिए एक उपकरण।

ई-लॉ: एक वेबसाइट जो पर्यावरणीय न्यायिक विकास को ट्रैक करती है।

संसाधन

लिंक देखने के लिए बाईं ओर के आइकन पर क्लिक करें

राज्यनिहाय सार्वजनिक सुनावणीची यादी:

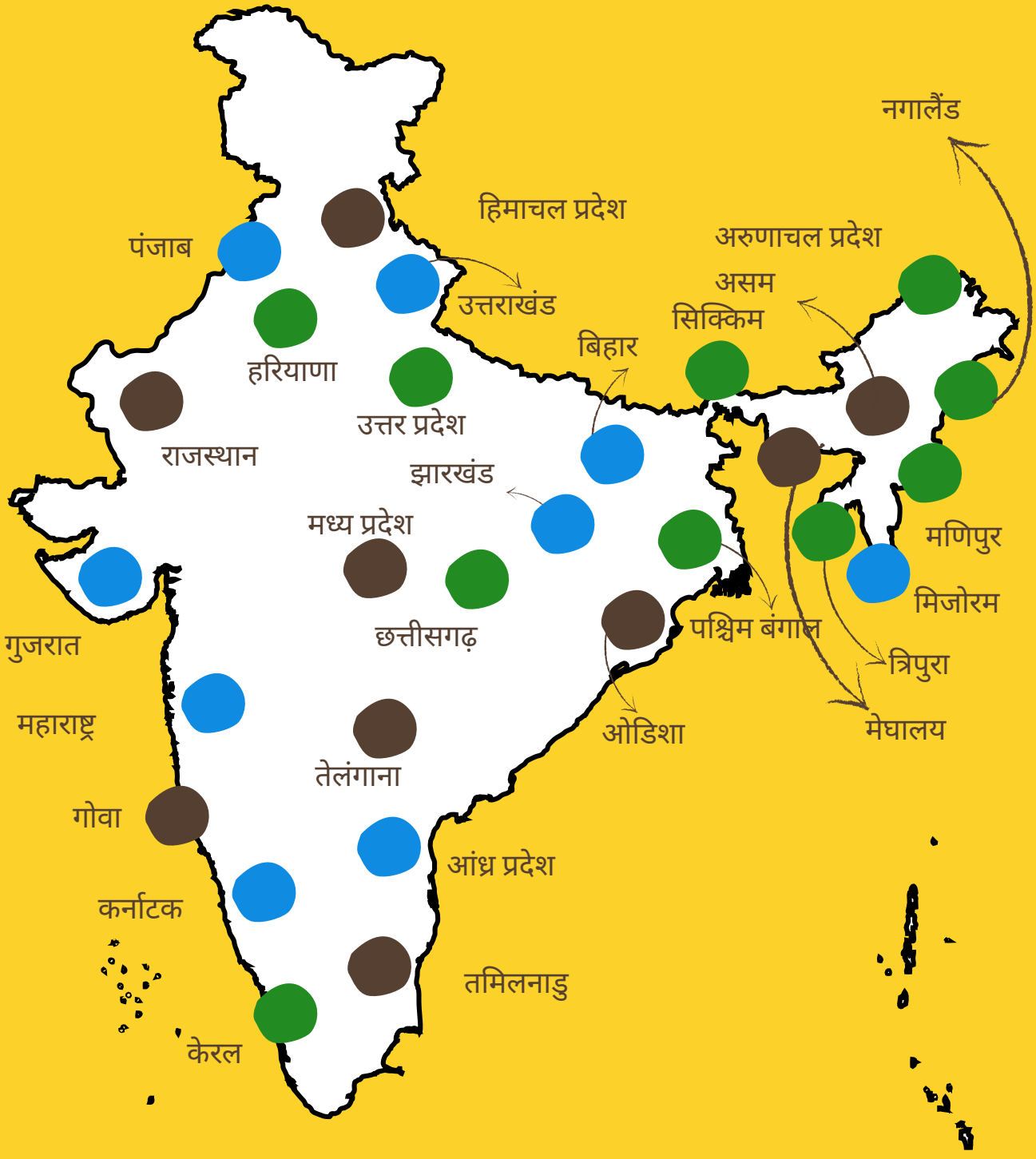

अभिस्वीकृतियाँ

यह हैंडबुक सभीजलवायु उत्साहशील व्यक्तियों, शोधकर्ताओं, पर्यावरणविदों और मीडियाकर्मियोंके मूल्यवान इनपुटके बिना संभवनहीं हो सकतीथी, जिन्होंने पर्यावरणकानून और नीतिक्षेत्र के आंतरिककामकाज के बारेमें अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए।

इसमें शामिल व्यक्ति और जलवायुसंगठन

- अयादी मिश्रा, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क
- देबादित्यो सिन्हा, जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र - विधि
- मारियाने मैनुअल, दक्षिण
- मारिशा ठाकुर, रेनमैटर फाउंडेशन
- राधिका झावेरी, लैट इंडिया ब्रीद
- ऋषभ लालानी, रेनमैटर फाउंडेशन
- समीर शिसोदिया, रेनमैटर फाउंडेशन
- श्रीजनी दत्ता, यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया
- सिद्धार्थ अग्रवाल, वेदितम
- तन्मयी गिध, रेनमैटर फाउंडेशन
- उमा के, बायोम एनवायरनमेंटल ट्रस्ट

पत्रकार

- भानु श्रीधरन, सिटिजन मैटर्स
- प्रयाग देसाई अरोड़ा, हिन्दुस्तान टाइम्स
- वैष्णवी राठौर, स्क्रॉल.इन

हम, कोपरनिकस इंस्टीट्यूटऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी कीछात्रा निवेदिता बंसलऔर नेशनल लॉयूनिवर्सिटी, उड़ीसा कीछात्रा समरथ कौरकलसी से मिलेसमर्थन के लिएभी आभारी हैं।

द्वारासंपादित
डेनिका सिक्वेरा

इनकेद्वारा डिजाइन किया गया
जस्टिस आड्डा

द्वाराअनुवाद
हिंदी और मराठी: देवीलक्ष्मी कुमार, अनुवाद समाधान
कन्नड़: श्रीकारा दत्तात्रेय, ध्वनि लीगल ट्रस्ट
तमिल: कृपा रामचंद्रन

द्वारे लेखक
अदित्य टण्णु, शोनोत्त्रा कुमार